न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1058–दो/2007– विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–2007– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 350/2004–05 अपील

यज्ञभान वानी पुत्र विश्राम वानी
ग्राम कुचवाही तहसील सिहावल
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1– सुदर्शन पुत्र रामा
2– जोखू पुत्र माधौ
3– लखपती पुत्र माधौ
4– यज्ञसेन पुत्र विश्राम वानी
सभी ग्राम कुचवाही तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा)
(अनावेदकगण 1,2,3 के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 350/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–5–2007 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 1 को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम कुचवाही की भूमि सर्वे नंबर 1107 रकबा 0.125 हैक्टर, 1158 रकबा 0.413 है. तथा 1159 रकबा 0.077 है. कुल किता 3 के भूमिस्वामी अनावेदक क्रमांक 2 एंव 3 है किन्तु पूर्व से अभिलेख नक्शा गलत बना है मौके पर उसका कब्जा दखल

है इसलिये हाल बंदोवस्ती प्लाट, स्वत्व उसके नाम सुधार कर दर्ज किया जाय। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल कमांक 1 ने प्र0क0 14 अ 74/97-98 एंव 19 अ-6/97-98 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 17-5-1999 पारित करके ग्राम कुचवाही की भूमि नंबर पुराना 1159 नया नंबर 1211 रकबा 0.17 बजाय भूमिस्वामी बनाम आवेदक सुदर्सन पुत्र रामा वानी के नाम तथा पुराना नंबर 1071 हाल नंबर 1218 जु. रकबा 0.17 बजाय भूमिस्वामी बनाम अना.गण जोखू, लखपति पुत्र माधौ वानी के नाम सुधार करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, गोपादबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्र0क0 112/2000-01 अपील में पारित आदेश दि.30-9-04 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 350/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल कमांक 1 ने प्रकरण कमांक 14 अ 74/97-98 एंव 19अ-6/97-98 में दिनांक 17-5-1999 को आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने आदेश दिनांक 30-9-2004 में विवेचित किया है कि जिस समय दिनांक 17-5-99 को आदेश पारित हुआ, उस समय उपस्थित नहीं था जिसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17-5-99 को होने पर नकल हेतु आवेदन दिया जो 21-5-99 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आदेश पारित होने के दिनांक को ही हो गई थी तथा नकल भी 21-5-99 को प्राप्त कर चुका था साथ ही नकल प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 20-6-99 से 7-7-99 तक बीमार होने के संबंध में उपचार संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर निरस्त की है । यदि 21-5-99 से 7-7-99

तक अवधि की गणना की जाय, तब 47 दिन की गणना आती है, जिसमें से प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17-5-99 एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 21-5-99 अर्थात 4 दिवस कम करने पर (47-4=43) दिन का अन्तर है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में तत्समय प्रचलित नियमों अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि 45 दिन है जबकि उक्त गणना अनुसार 43 दिन के अन्तर प्रस्तुत होना प्रतीत होता है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्तानुसार गणना न करते हुये 47 दिवस अर्थात 2 दिवस के विलम्ब को क्षमा न करने में भूल की है जिस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने भी आदेश दिनांक 22-5-2007 पारित करते समय ध्यान न देने में त्रृटि की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 सहपठित 47 - अधीनस्थ न्यायालय से अपील विलम्ब के आधार पर अमान्य हुई - अपील में विलम्ब समुचित आधारों पर होना ठहराया गया - मामला गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु उसी न्यायालय को वापिस किया जावेगा। फलतः अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-5-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 350/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2007 तथा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा प्रकरण कमांक 112/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर